संख्या-45/2019/1008ई-2/तेरह-2019-20/2009

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 मई, 2019

विषय:-मेसर्स क्रीमी फूड्स लि0, ग्राम बरतौली, जी0टी0 रोड, खुर्जा जनपद-बुलन्दशहर को कैटिल फीड निर्माण हेतु शीरे की वास्तविक वार्षिक उपभोग क्षमता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-03/दस-140 सी/वा0शी0उ0/क्रीमी फूड्स/बुलन्दशहर/2012-13, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 एवं पत्र संख्या-जी-09/दस-140 सी(210)/वा0शी0उ0/क्रीमी फूड्स/बुलन्दशहर/2012-13, दिनांक 07 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में की गई संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स क्रीमी फूड्स लि0, ग्राम बरतौली, जी0टी0 रोड, खुर्जा जनपद-बुलन्दशहर की पशु आहार निर्माण हेतु वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 27,648 कुण्टल (सत्ताइस हजार छः सौ अड़तालीस कुन्तल) निर्धारित किए जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in